

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं०-०४/२०१८ - १८९

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
उप सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता देवघर ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी; जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : २३/०२/१९

विषय :-

मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80—सामान्य, लघु शीर्ष-789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-62—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180789620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-41/16-17, दिनांक-16.08.2016

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग / ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०—सामान्य	789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना / 62—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,	05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य 49S470180789620545	0.00

आवंटित राशि — ₹ शून्य मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के संशोधित बजट उपबंध रु. 6200.00 लाख (बासठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1362 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत परिशिष्ट-१ के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

~~~~~

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

2020/02/19

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-१

✓

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
 (अरुण कुमार सिंह) 22.2.2019  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 189

रॉची, दिनांक :— २३/०२/१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त्।


  
 (अरुण कुमार सिंह) 22.2.2019  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 189

रॉची, दिनांक :— २४/०२/१९

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव



(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह) 22.2.2019  
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक ..... 189 ..... दिनांक ..... १३/०२/१९ ..... का अनुलग्नक

परिषिष्ट -1

मोग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर दृजीगत परिव्यय,  
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,  
लघु शीर्ष-789-अनुसन्धान जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, 49S470180789620545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट उपबंध ₹ 6200.00 लाख (बासठ कराड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र०. | प्रमांडल का नाम                                         | मुख्य अभियंता      | योजना का नाम       | पुरारीकृत प्रशासनिक स्थिरकृति |        | मार्च 2018 तक का व्यय                                             | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन |               |           | On-line Allotment Access No. | अस्फुक्ति |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
|       |                                                         |                    |                    | राशि                          | प्रसंग |                                                                   | पूर्व का आवंटन                 | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन |                              |           |
| 1     | 2                                                       | 3                  | 4                  | 5                             | 6      | 7                                                                 | 8                              | 9             | 10        | 11                           | 12        |
| 1     | सिंचाई प्रमांडल, देवधर (DGRCMMF59)                      |                    |                    |                               |        | 41 / 16-17 प्र०स्वी, दिनांक- 16.08.2016 Online A.A- 1202/18.08.16 | 155.0000                       | 205.3700      | 360.3700  | 94856                        |           |
| 2     | पुनासी बोध प्रमांडल, देवधर (DGRCMMF51)                  | पुनासी शिविर देवधर | पुनासी जलाशय योजना | 79772.25                      |        | 1556.5486                                                         | 250.0000                       | 1806.5486     | 94859     |                              |           |
| 3     | पुनासी स्पीलवे प्रमांडल, पुनासी शिविर-देवधर (DGRCMMF48) | पुनासी शिविर-देवधर |                    |                               |        | 752.0000                                                          | -455.3700                      | 296.6300      | 27611     |                              |           |
|       |                                                         |                    |                    |                               |        | कुल योग                                                           | 2463.5486                      | 0.0000        | 2463.5486 |                              |           |
|       |                                                         |                    |                    |                               |        | आवटित राशि - ₹ शून्य मात्र।                                       |                                |               |           |                              |           |

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभियंता)

(रमेश कुमार हुड्डे)  
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह) २२.२.२०१९  
अपर मुख्य सचिव